

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक :- राजस्व / 2024 /

दिनांक :-

आदेश

प्रार्थी शौकत अली पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया के खाता "दुरूस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्रांक भूअ./24/1394 दिनांक 30.04.2024 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर चक 8 एमएमके की जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	किकरवाली	चक 8 एमएमके खाता संख्या 80/9 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075	बशीर अहमद पुत्र मोहम्मद खां	शौकत अली पुत्र मोहम्मद

नोट :-शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।



(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 25.11.2024

क्रमांक :- सम / 425

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थीयागण.....।



उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

